

कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
हकीम सैयद जिलाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / २२४५-११

दिनांक: २५/०४/२०२३

// आदेश //

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अहताओं/शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में स्टाफ नर्स (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 28700-91300 (एल-7) एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद द्वारा पदस्थ किया जाता है:-

क्र०	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	वर्ग/संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23553259	सुरभि मेहरा पिता स्व. श्री जगदीश मेहरा पता- न्यास कॉलोनी ईटारसी तहसील ईटारसी जिला नर्मदापुरम म0प्र०	SC	57.35
2	23579981	रश्मि पटेल पिता श्री सत्यनारायण पटेल पता- ग्राम पटपरा तालाब के पास तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र०	OBC	56.97
3	23586970	नाजमिन बी पिता शेख सलीम पता- संन्दुरजना पोस्ट चॉगोखा तह.पाढुर्णा जिला छिन्दवाडा म0प्र०	OBC	56.71
4	23580044	अंजू सिंगोठिया स्व.पति जितेन्द्र सिंगोठिया पता वार्ड नं. 21 शिवमंदिर के पास जनता कॉलोनी छिन्दवाडा म0प्र०	SC	55.92
5	23580104	उमा तिवारी पिता शेषमणी तिवारी पता-म. नं.-49 कामरौन टोला, उरतान अनुपपुर म0प्र०	EWS	55.92
6	23588540	ममता बारे पिता भागीरथ बारे पता- वार्ड नं.-11 तालाब मोहल्ला पोस्ट जमानी होशंगाबाद नर्मदापुरम म0प्र०	SC	55.92
7	2357842	अकिता लाल पिता श्री विनय लाल पता-मकान न. 6 प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास थाना गढ़ा मदन महल पुरवा जबलपुर म0प्र०।	EWS	55.9
8	23580768	रुपाली डेहरिया पिता श्री सुरेश डेहरिया पता -- वार्ड न० 12, परासिया, मकान. न. 236 तहसील परासिया अराधना विद्यालय बाजार चौक जिला छिन्दवाडा म0प्र०	SC	54.86
9	23553245	रविना नागले पिता श्री कृष्णा नागले पता-म.नं.-137 वार्ड क-32 शवित नगर शोभापुर कॉलोनी जिला बैतूल म0प्र०	SC	54.61

उपरोक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :-

1. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक /सी.3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक-ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
3. उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस मे अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में सामरत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समरत दरतावेज यदि रात्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
- 4.

05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप/तथ्य उद्भूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/- शासकीय कोषालय में मद-0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं-008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत् दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समर्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।
10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।
11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।
14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।
16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3-8-2006-3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान मे त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

M.S.C.
(डॉ० मेहूदा बेगम)
प्र०प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक / 2023 / स्थापना / २२८५-११

दिनांक: २७/०४/२०२३

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ / पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— विशेष सहायक, मानो मंत्री जी म०प्र० शासन आयुष विभाग भोपाल।
- 2— प्रमुख सचिव म०प्र० शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 3— आयुक्त, संचालनालय आयुष म०प्र० भोपाल।
- 4— संभागायुक्त, संभाग..... एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
- 5— जिला कोषालय अधिकारी.....।
- 7— संबंधित श्री/ श्रीमती/ सुश्री।
- 8— व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

M.S.C.
प्र०प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी